न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 11/2019 (उदयपुर डिक्री)

धन्ना पिता अमरा जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मैसर्स ईस्ट वेस्ट मिनकोम प्राईवेट लिमिटेड, उदयपुर जरिये डायरेक्टर रवि पाटीदार, निवासी 9–ए, अरिहन्त विहार, नियर पावर हाउस, सौ फिट रोड़, राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती कंकू बाई पिता लखमीचन्द पाटीदार, निवासी 20, कंचनदीप, गणेशनगर, उदयपुर (राज.)
3. सुन्दरलाल पिता डालचन्द जैन, निवासी खेमली स्टेशन, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली
दिनांक 01.03.2019, प्र.सं. 82/16

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्ट
3. श्री सुखलाल मेघवाल अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1, 2
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. सं. 4

———:::———

निर्णय **दिनांक 14–10–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुडली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात कुल किता 23 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की है, जिसका अभी तक बंटवाड़ा नहीं हुआ है। उक्त आराजियात में वादी का 280/686 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 2 का 63/686 हिस्सा होकर इसी अनुसार पक्षकारान काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। इसलिए बिना विभाजन के विशेष भाग को विक्रय हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विक्रय हस्तान्तरण करने व बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः उपरोक्तानुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन कराया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धारा 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में कालू पिता गोदा जी डांगी और मुझ प्रार्थी धन्ना पिता अमरा जी डांगी के नाम समान हिस्से से दर्ज थी, किन्तु बाद में गलत विरासत एवं नुमाईशी विक्रय से वादीगण के नाम आयी है। इसी आराजी के संबंध में पूर्व में कालू जी ने एक वाद नंबर 39/2000 कालू बनाम धन्ना आप न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो निर्णित हो चुका है तथा दिनांक 22–06–2005 को मौतबीरों की उपस्थिति में कालू की सहमति से बंटवाड़ा हो चुका है। इसलिए उक्त वाद अब कानूनन नहीं चल सकता है। अतः वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 01–03–2019 से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पूर्व में जारी अंतिम डिक्री के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19–03–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के पश्चात अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धारा 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके विचाराधीन रहने के दरम्यान भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पर को निस्तारित नहीं कर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावे का अवसर बन्द कर दिया गया एवं वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए वादी/ रेस्पोन्डेन्ट का वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे। अपीलान्ट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक नजीरें 1996 (1) CCC पेज 269 (SC), 1996 (1) CCC पेज 158 (SC), 2006 (1) RRT पेज 175 एवं 2011 (1) DNJ SC पेज 279 प्रस्तुत की गयी।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उचित बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 151 जा.दी. पर उभयपक्षों को सुनकर अपने विस्तृत विवेचन में यह माना है कि ''मूलवाद संख्या 39/2000 में दिनांक 28–07–2006 को अंतिम डिक्री जारी हो चुकी है, किन्तु उक्त डिक्री की पालना अब तक नहीं होने से उक्त वाद के वादी कालू द्वारा अपनी भूमि का विक्रय वर्तमान वादी मै. ईस्ट वेस्ट मिनकेम प्रा.लि. एवं प्रतिवादी संख्या 2 सुन्दरलाल को विक्रय कर दिया है एवं उक्त क्रेता सहखातेदार होकर पक्षकार हैं, जबकि मूलवाद कालू बनाम धन्ना के मध्य सुनवाई होकर मेरिट पर निस्तारित हो चुका है। चूंकि पूर्व में इन्हीं आराजियात बाबत प्रकरण मेरिट पर अंतिम डिक्री किया जा चुका है, जिसकी पालना नहीं हुई है। अगर ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज किया जाता है तो पक्षकारान के साथ न्याय नहीं होगा, प्रकरण मात्र बंटवाड़ा का है। अतः वादग्रस्त आराजियात का पूर्व में जारी अंतिम डिक्री को

ध्यान में रखते हुए तहसीलदार मावली को वर्तमान स्थिति अनुसार बंटवाड़ा करने हेतु निर्देशित किया जाना न्यायहित में उचित है।'' अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आधार पर प्रार्थी का धारा 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पूर्व में जारी अंतिम डिक्री के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार मावली को बंटवाड़ा कमिश्नर नियुक्त कर प्रकरण सभी पक्षों की उपस्थिति में अंतिम डिक्री को ध्यान में रखते हुए उसी आधार पर बंटवाड़ा प्रस्तावित किये जाने का आदेश पारित किया, जो उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत हैं, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पूर्व वाद संख्या 39/2000 संलग्न है, जिसके निर्णय व डिक्री दिनांक 28–07–2006 व प्रस्तुत जमाबन्दियों के अवलोकन से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी है, उनका हमने ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, जिसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–03–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 14–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

धन्ना पिता अमरा जी डांगी, निवासी गुडली, तह. मावली, जिला उदयपुर बनाम **मैसर्स ईस्ट वेस्ट मिनकोम प्रा.लि. उदयपुर जरिये डायरेक्टर रवि पाटीदार, नि. 9–ए, अरिहन्त विहार नियर पावर हाउस, 100 फिट रोड़ राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**11/2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....01**.....माह.....**03**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**14**....माह.....**.10**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री विजय कुमार ओस्तवाल**...मिनजानिब अपीलान्ट व..**श्री सुखलाल मेघवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–03–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.14.**.....माह.....**.10.**.....**2019** को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।